संख्या- /2016/ /पांच-6-2016-40(जी)/16

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

विषय:-200 शैयया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ को डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ को नि:शुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1352/पांच-6-2016-40(जी)/16 दिनांक 31.05.2016 व निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण के पत्र संख्या-मा0शि0क0/200 शैयया मा0एवंशि0 चिकि0हस्तातंरण/2016/2291-5 दिनांक 01.08.2016 के क्रम में 200 शैयया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ को चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ को नि:शुल्क हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत जिन योजनाओं यथा जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, एस0एन0सी0यू0 आदि का क्रियान्वयन जिन शर्तों पर कराया जाना अपेक्षित है, उन्हीं शर्तों पर कराया जायेगा तथा उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से की जायेगी। इन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ प्रशासन द्वारा अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

(ख) RMNCH + A की समस्त सुविधायें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चलायी जायेगीं एवं उनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भी किया जायेगा। कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव उनके द्वारा तैयार किया जायेगा तथा आय-व्यय से संबंधित धनराशि की वित्तीय उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी उनके द्वारा उपलब्ध कराना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मातृ एवं शिशु चिकित्सालय से संबंधित यदि और कोई अतिरिक्त योजना लागू की जाती है तो उसका भी क्रियान्वयन अक्षरश: संस्थान को करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

वेब मास्टर

(ग) उक्त चिकित्सालय को संचालित किये जाने हेतु अपेक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था के लिए पद सृजन, कार्मिकों की तैनाती, उनके वेतन आदि संबंधी समस्त कार्यवाही चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संपादित की जायेगी तथा तैनात किये जाने वाले कार्मिक, चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियमों / विनियमों से नियंत्रित होगे, उन पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का न तो नियंत्रण होगा, न ही इस विभाग में कोई धारणाधिकार (लियन) होगा।

2. कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 347/2016/3034 (1)/पांच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
7. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
9 निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/चिकित्सा अनुभाग-9/ चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12. विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in